तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
22/11/21	पत्रावली आज प्रशासन गांव के लिए नियत है। केस सोलहवां लिया गया पेश हुई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन व गहराई से अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्त मूल्यांकन प्रकरण इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 26/12/2012 को अपील लगभग 8 वर्षों पूर्व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 भू-राजस्व अधिनियम का प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट फेस के समक्ष प्रस्तुत करवा दिया है जिसे अब पुनः सुनवाई के लिए जोड़ा वकील प्रार्थीगण द्वारा इस तथ्य की पुष्टि हेतु कोई डाक्यूमेंट साक्ष्य पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की है और ना ही उक्त प्रार्थना पत्र 8 वर्षों के लम्बे अन्तराल के बाद पेश करने का कारण ऐसे प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई ठोस कारण भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। चूंकि उक्त प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम के तहत धारा 81 का प्रार्थना पत्र खारिज होने पर देखरेख के लिए अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सि.प.सं. धारा 151 CPC का पेश किया है। जबकि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की वृहदपीठ के निर्णय दिनांक 2008(2) RRT 1338 निर्णय दिनांक 03 सितम्बर 2008 द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया है कि भू-राजस्व अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के अन्तर्गत वादों, अपीलों, निगरानियों, रिवीजन तथा कार्यवाही में सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः उक्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 CPC स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर दिया जाता है। पत्रावली निर्णय सुनाकर दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 11:34:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ागौड़जी